प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दाण्डिक विविध याचिका संख्या 314 /2025

आदेश सुरक्षित किया गया : 27.01.2025

आदेश पारित किया गया : 23.04.2025

प्रह्लाद राठौर पिता श्री बोधन सिंह राठौर, 40 वर्ष , जाति राठौर, गाँव लालपुर, पुलिस थाना निवासीला, तहसील पेंड्रा रोड, जिला निवासीला–पेंड्रा–मरवाही (सी. जी.)।

---याचिकाकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी के द्वारा , पुलिस थाना खमरडीह, जिला रायपुर (सी. जी.)

---उत्तरवादी

याचिकाकर्ता हेतु :श्री पंकज सिंह, अधिवक्ता

राज्य/उत्तरवादी हेतु : श्री प्रांजल शुक्ला, पैनल अधिवक्ता

माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश

सी. ए. वी. आदेश

1. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 294, 323, 506, 376 और 376 (2) (एन) के तहत पुलिस थाना खम्हारडीह, रायपुर में दर्ज एफआईआर दिनांक 28.02.2023 से

उत्पन्न हुई है।अभियोक्ता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता, जो एक खाद्य निरीक्षक है, ने अपनी वैवाहिक स्थिति को छिपाकर उसे धोखा दिया, उसे अश्लील वीडियो जारी करने की धमकी दी और उसके साथ शारीरिक और यौन उत्पीड़न किया। 13.06.2023 को आरोप-पत्र दायर किया गया, जिसका क्रमांक 154/2023 था, और अभियोक्ता की 29.04.2024 को परीक्षण और 11.07.2024 को प्रतिपरीक्षा के साथ विचारण शुरू हुआ।याचिकाकर्ता इस न्यायालय में मामला क्रमांक 30/2023 (राज्य बनाम प्रहलाद राठौर एवं अन्य) के संबंध में विशेष न्यायाधीश (अत्याचार), रायपुर की कार्यवाही पर आक्षेप लगाने और उस पर हमला करने के लिए विवश है, जिसमें विद्वान विशेष न्यायाधीश ने मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए बचाव पक्ष को अभियोक्ता के फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट को खोलने/जांच करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, साथ ही अभियोक्ता से संबंधित ऑडियो रिकॉर्ड चलाने और अभियोक्ता की जांच करने की भी अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसलिए, याचिकाकर्ता इस न्यायालय के सौम्य क्षेत्राधिकार का आह्वान कर रहा है, क्योंकि अनुमति देने से इनकार करने से याचिकाकर्ता की सुनवाई और अभियोक्ता के आरोपों को साक्ष्यों के माध्यम से प्रभावी ढंग से चुनौती देने का अवसर वंचित हो जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अभियोजन मामले की संक्षिप्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि अभियोक्ता ने वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ 28.02.2023 को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 294, 323, 506, 376 और 376 (2) (एन) के तहत प्राथमिकी दर्ज की। याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप हैं कि अभियोक्ता बलौदा बाजार जिले में जिला पंचायत सदस्य है।याचिकाकर्ता, जो एक खाद्य निरीक्षक है, ने पहली बार सोसायटी मामले से संबंधित काम के सिलसिले में बलौदा बाजार कलेक्टर कार्यालय में अभियोक्ता से मुलाकात की। आरोपों के अनुसार, अभियोक्ता और याचिकाकर्ता ने फोन पर बातचीत शुरू की और समय के साथ करीब आ गए। लगभग 18-19 महीने बाद, अभियोक्ता को पता चला कि याचिकाकर्ता- प्रहलाद राठौर पहले से ही विवाहित है और उसके दो बच्चे हैं। कथित तौर पर, जब अभियोक्ता ने याचिकाकर्ता से इस तथ्य को छिपाने के बारे में पूछा, तो एक बहस और झगड़ा हुआ, जिससे उनके रिश्ते में दरार आ गई।अगले 5-7 महीनों तक याचिकाकर्ता ने अभियोक्ता से कोई संवाद नहीं किया।हालांकि, यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने विभिन्न माध्यमों से अभियोक्ता से संपर्क करने का प्रयास जारी रखा।जैसा कि आरोप लगाया गया है, याचिकाकर्ता ने बाद में अपने दोस्त के फोन नंबर का उपयोग करके अभियोक्ता से संपर्क किया और उसे धमकी दी, यह दावा करते हुए कि वह अभियोक्ता के अश्लील वीडियो सार्वजनिक कर देगा।अभियोक्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता ने उसे अपने वाहन (स्कॉर्पियो) में बैठने के लिए विवश किया और उसे कचना रोड पर एक लॉज में ले गया। अभियोक्ता ने याचिकाकर्ता के फोन से अपने 4-5 अश्लील वीडियो डिलीट करने में सफलता हासिल की। इसके बाद, उसने बस स्टैंड पर छोड़ने का अनुरोध किया।हालांकि, याचिकाकर्ता ने बसों के लिए बहुत विलंब होने का उल्लेख देते हुए इनकार कर दिया और सुझाव दियाकि वे लॉज में ही रहें। इससे तीखी बहस हुई और हाथापाई हुई।अभियोक्ता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता उसे जबरन एक लॉज में ले गया, जहाँ उसने उसे ब्लैकमेल किया और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।उस पर उसके हाथ-पैर बांधने,उसके साथ जबरदस्ती करने और अगले दिन तक उसे बंधक बनाए रखने का आरोप है। इसके बाद

याचिकाकर्ता ने उसे एक स्थान पर छोड़ने का वादा किया, लेकिन इसके बजाय वह कहीं और चला गया।यात्रा के दौरान, उसने कथित तौर पर अनीता साहू और प्रमिला साहू सहित अन्य लोगों को शामिल किया, जिन्होंने याचिकाकर्ता के साथ मिलकर अभियोक्ता के साथ मारपीट की और उसका सामान छीन लिया। बाद में, उसे कथित तौर पर रात के समय बलौदा बाजार में छोड़ दिया गया। बाद में, अभियोक्ता ने 28.02.2023 को पुलिस स्टेशन खमरडीह, रायपुर में एक प्राथमिकी दर्ज कराई। अभियोजन पक्ष द्वारा 13.06.2023 को आरोप पत्र दायर किया गया, जिसका क्रमांक 154/2023 है।

3. 13.06.2023 को आरोप पत्र दायर करने के बाद, याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप निर्धारित किए गए और विचारण शुरू हुआ। विचारण की कार्यवाही के हिस्से के रूप में, अभियोक्ता को 29.04.2024 को मुख्य परीक्षण के लिए न्यायालय में बुलाया गया, जिसके दौरान अभियोजन पक्ष ने अपना मामला दायर किया और अभियोक्ता ने अपना बयान दर्ज किया। इसके बाद, अभियोक्ता से 11.07.2024 को प्रतिपरीक्षा निर्धारित किया गया था।

4. 11.07.2024 को अभियोक्ता की प्रतिपरीक्षा के दौरान बचाव पक्ष ने विशेष लोक अभियोजक और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की मौजूदगी में अभियोक्ता के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट खोलने की अनुमति मांगी। यह अनुरोध बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत कुछ तस्वीरों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए किया गया था, जिनसे अभियोक्ता ने जुड़े होने से इनकार किया था, आरोप लगाया था कि उन्हें संपादित किया गया था और उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल से लिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. बचाव पक्ष ने कथित तौर पर अभियोक्ता से जुड़ी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाने की अनुमति भी मांगी।इसका आशय रिकॉर्डिंग में आवाज़ की प्रामाणिकता की पुष्टि करना और बचाव पक्ष के मामले का समर्थन करने के लिए इसकी सामग्री के बारे में अभियोक्ता से परीक्षण करना था।

6. बचाव पक्ष के अनुरोध को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रस्तुत साक्ष्य की प्रामाणिकता और अभिरक्षा की श्रृंखला पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं की गई थी। इसके अलावा, पीड़ित के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट तक पहुंचने के अनुरोध को भी खारिज कर दिया गया, क्योंकि संबंधित सोशल मीडिया सामग्री के प्रमाणित अभिलेख को प्रमाणित करने या प्राप्त करने के लिए कोई पूर्व प्रक्रियात्मक कदम नहीं उठाए गए थे। इसके अतिरिक्त, ऑडियो रिकॉर्डिंग के संबंध में न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्डिंग युक्त पेन ड्राइव जांच के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई थी और यह आरोप-पत्र का हिस्सा नहीं था, जिससे इसकी उत्पत्ति और अभिरक्षा अस्पष्ट हो गई थी।इसलिए, वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गयी है ।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि शुरू में याचिकाकर्ता के पास यह सुनिश्चित करने का एक अंतर्निहित और संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है कि उसके विरुद्ध चलाया गया वाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है। पेश किए जाने वाले साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सुसंगत हैं और अभियोक्ता की मुख्य

परीक्षा के दौरान उठाए गए विवाद्यक से सीधे संबंधित हैं। उसकी गवाही को प्रभावी ढंग से चुनौती देने और उसकी विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए इसका परिचय आवश्यक है।उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभियोक्ता के इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट तक पहुँचने के साथ-साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश करने की मांगी गई अनुमति सद्भावना में दी गई है और इसका उद्देश्य अभियोजन पक्ष को देरी, परेशानी या पूर्वाग्रह पैदा करना नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि बचाव पक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 बी के तहत एक प्रमाण पत्र प्रदान करने का वचन देता है, ताकि पेश किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता और प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सके। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि बीएनएसएस, 2023 की धारा 351 न्यायालय को वाद के किसी भी चरण में किसी भी व्यक्ति या साक्ष्य को बुलाने, जांच करने, वापस बुलाने या फिर से जांच करने का अधिकार देती है, अगर यह मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक है।प्रस्तुत किया जाने वाला ऑडियो-वीडियो साक्ष्य सीधे तौर पर मुद्दे के तथ्यों से संबंधित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत, न्यायालय को किसी भी साक्ष्य या दस्तावेज को प्रस्तुत करने का आदेश देने का अधिकार है, जिसे वह सुसंगत तथ्यों की खोज या सबूत प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझता है।बीएनएसएस की धारा 94 के तहत, न्यायालय को किसी भी दस्तावेज या चीज को प्रस्तुत करने का आदेश देने या बुलाने का अधिकार है, जिसे वह निष्पक्ष और न्यायपूर्ण सुनवाई के उद्देश्य से आवश्यक या वांछनीय समझता है।अतः, यह प्रार्थना की जाती है कि यह न्यायालय निम्न प्रकार से कृपा करे:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(क) प्रकरण क्रमांक 30/2023 (राज्य बनाम प्रहलाद राठौर एवं अन्य) में प्रकरण एवं कार्यवाही के अभिलेख मंगाएं, जो विद्वान विशेष न्यायाधीश (अत्याचार), रायपुर के समक्ष लंबित है। यह प्रकरण दिनांक 28.02.2023 को पुलिस थाना खम्हारडीह, रायपुर में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 294, 323, 506, 376 एवं 376(2)(एन) के अंतर्गत पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित है। साथ ही आरोप पत्र एवं अन्य सभी सुसंगत दस्तावेजों को मंगाया जाए, ताकि आक्षेपित आदेश/कार्यवाही की वैधता, औचित्य एवं शुद्धता की जांच की जा सके।

(ख) यह न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अत्याचार), रायपुर के आदेश/आदेश को खारिज करने और अपास्त करने की कृपा करे, जो कि मामला संख्या 30/2023 (राज्य बनाम प्रहलाद राठौर एवं अन्य) के संबंध में है, जिसमें विद्वान विशेष न्यायाधीश ने बचाव पक्ष को अभियोक्ता के फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट को खोलने/जांच करने, साथ ही अभियोक्ता से संबंधित ऑडियो रिकॉर्ड चलाने और अभियोक्ता की जांच करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

(ग) यह न्यायालय विद्वान विशेष न्यायाधीश (अत्याचार), रायपुर को निर्देश देने की कृपा करे कि वह बचाव पक्ष/याचिकाकर्ता को निम्नलिखित की अनुमति देवे:

विचारण के दौरान प्रस्तुत तस्वीरों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के उद्देश्य से विशेष लोक अभियोजक और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की उपस्थिति में अभियोक्ता के फेसबुक और इंस्टाग्राम खातों तक पहुंच प्राप्त करें।

(घ) यह न्यायालय विद्वान विशेष न्यायाधीश (अत्याचार), रायपुर को निर्देश देने की कृपा करे कि वह बचाव पक्ष/याचिकाकर्ता को निम्नलिखित की अनुमति दे:अभियोक्ता से कथित रूप से संबंधित ऑडियो रिकॉर्डिंग मंगाएं और उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद, याचिकाकर्ता को उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त रिकॉर्डिंग चलाने की अनुमति दें ताकि आवाज की प्रामाणिकता की पुष्टि हो सके और प्रभावी प्रतिपरीक्षा हो सके।

(ई) याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई और आदेश पारित करें जैसा कि न्यायालय वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उचित समझे।

8. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये तर्क का विरोध करते हैं और तर्क देते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय ने सही पाया है कि न्यायालय में अभियोक्ता के फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट तक पहुंचना और उसे देखना उचित नहीं लगता है।यदि अभियोक्ता के फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट की न्यायालय में जांच की जाती है, तो अभियोक्ता के निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा और इस आधार पर भी याचिका इस स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और उनके द्वारा ऊपर दिए गए निवेदनों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

10. भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित कहा गया है:–

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।"

11. हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति **के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ** के मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय पारित किया गया है, जिसकी रिपोर्ट 2019 (1) एस.सी.सी. 1 में दी गई है, जिसमें स्थापित किया गया है कि:–––

"निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। इसका मतलब है कि निजता एक मौलिक अधिकार है, न कि केवल एक प्रक्रियात्मक अधिकार, और यह संविधान द्वारा संरक्षित है।"

उक्त निर्णय का भारत में मौलिक अधिकारों के दायरे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या की पुष्टि करता है और मौलिक अधिकारों की व्याख्या और सुरक्षा के लिए समग्र दृष्टिकोण के महत्व पर जोर देता है।

12. **महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर नारायण मर्दिकर (1991) के** प्रकरण **में,** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि सभी को अपनी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना गोपनीयता का अधिकार है।

13. सर्वोच्च न्यायालय ने इसके अनुप्रयोग को व्यापक बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के साथ पढ़ने का विकल्प चुना है।भारत का संविधान निजता के अधिकार को एक मुख्य स्वतंत्रतावादी आदर्श के रूप में स्पष्ट रूप से समर्थन नहीं करता है। **खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1962)** के मामले में, जब संदिग्धों की निगरानी का विवाद्यक उठा, तब निजता के अधिकार का विवाद्यक प्रकाश में आया।

14. निजता का अधिकार एक मानव अधिकार है, जो कई अंतरराष्ट्रीय संधियों और संस्थाओं में निहित है, जैसा कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 के अनुच्छेद 12 और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, 1966 के अनुच्छेद 17 में परिलक्षित होता है।**के.एस. पुट्टस्वामी (सुप्रा)** में न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि गोपनीयता एक मौलिक अधिकार है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आंतरिक रूप से संरक्षित है। गोपनीयता एक ऐसा अधिकार है जिसका आनंद हर इंसान अपने अस्तित्व के आधार पर लेता है। यह शारीरिक अखंडता, व्यक्तिगत स्वायत्तता, राज्य की निगरानी से सुरक्षा, गरिमा, गोपनीयता आदि जैसे अन्य पहलुओं तक विस्तारित हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ गोपनीयता को "एकांत रहने के अधिकार" के रूप में परिभाषित करता है। निजी जीवन का अधिकार..." इस परिभाषा से संकेत लेते हुए, हम कह सकते हैं कि निजता का अधिकार हमारी व्यक्तिगत जानकारी को निजी रखने का अधिकार है। व्यक्तिगत जानकारी में इलेक्ट्रॉनिक संचार, यौन अभिविन्यास, व्यावसायिक गतिविधियाँ और यहाँ तक कि भावनाएँ या बुद्धि भी शामिल हो सकती हैं।

16. निजता का अधिकार इन अधिकारों में से एक है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार को लचीले ढंग से परिभाषित किया गया है ताकि किसी व्यक्ति के अस्तित्व के सभी हिस्सों को कवर किया जा सके जो उसके जीवन को अधिक सार्थक बनाते हैं।कई अंतरराष्ट्रीय संधियों में निजता के सम्मान को मनुष्य का मौलिक अधिकार माना गया है।यह मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है और लोकतंत्र के मूलभूत घटकों में से एक है।यह व्यक्ति के अधिकारों के साथ-साथ अन्य लोगों के अधिकारों को भी बनाए रखता है।निजता एक अवधारणा के रूप में नई नहीं है।प्राचीन ग्रीस में विभाजनों को क्रमशः पोलिस और ओइकोस या सार्वजनिक या राजनीतिक दुनिया और निजी या पारिवारिक क्षेत्र कहा जाता था। दूसरी ओर, "गोपनीयता का अधिकार" एक अपेक्षाकृत समकालीन अवधारणा है। निजता का अधिकार इन अधिकारों में से एक है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार को लचीले ढंग से परिभाषित किया गया है ताकि किसी व्यक्ति के अस्तित्व के सभी हिस्सों को कवर किया जा सके जो उसके जीवन को अधिक सार्थक बनाते हैं। निजता और निजता के अधिकार की अवधारणाओं को समझना मुश्किल है। निजता अक्सर आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों से संबंधित होती है और यह प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित होती है। निजता का अधिकार हमारे आस-पास की जगह की रक्षा करने की हमारी क्षमता को संदर्भित करता है, जिसमें हमारे शरीर, घर, संपत्ति, विचार, भावनाएँ, रहस्य, पहचान आदि जैसी हमारी सभी संपत्तियाँ शामिल हैं।

17. संसद और सर्वोच्च न्यायालय को स्वतंत्रता के अधिकार की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए, तथा निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के परस्पर विरोधी अधिकारों के बीच संतुलन बनाने का तरीका विकसित करना चाहिए। डिजिटल युग में, डेटा एक मूल्यवान संसाधन है जिसे अनियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। यह स्थिति दर्शाती है कि भारत में एक मजबूत डेटा सुरक्षा व्यवस्था का समय आ गया है।अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति का निजता का अधिकार उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए आवश्यक है। निजता के अधिकार बिना शर्त के नहीं हैं। वे अपराधों की रक्षा, कमज़ोर लोगों के कल्याण, नैतिकता या अन्य मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं।

18. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क, संविधान के अनुच्छेद 21, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और अन्य संबंधित सामग्रियों पर विचार करते हुए।

19. वर्तमान प्रकरण में शामिल तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर वापस लौटते हुए, अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि अभियोक्ता की प्रतिपरीक्षा के दौरान, विद्वान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोक्ता इस तथ्य से इनकार कर रही है कि वह न्यायालय में उनके द्वारा दायर सभी तस्वीरों में अभियुक्त – प्रहलाद और उसके परिवार के सदस्यों के साथ रह रही है और अभियोक्ता ने कहा है कि उपरोक्त सभी तस्वीरों में उसकी तस्वीर को संपादित किया गया है, यह संभव है कि उसकी तस्वीर उसके फेसबुक या इंस्टाग्राम आईडी से ली गई हो और संपादित की गई हो। इसलिए, विशेष लोक अभियोजक और बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की मौजूदगी में न्यायालय में पीड़िता की फेसबुक या इंस्टाग्राम आईडी खोलने और देखने की अनुमति मांगी गई। प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, विचारण न्यायालय ने पाया कि न्यायालय में अभियोक्ता के फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट तक पहुंचना और देखना उचित नहीं लगता है, इसलिए पीड़िता के फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट तक पहुंचने और देखने की अनुमति नहीं दी गई।उपरोक्त के तहत, इस न्यायालय की राय में, विद्वान विचारण न्यायालय ने विचारण न्यायालय में अभियोक्ता के फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट तक पहुंचने और उसे देखने की प्रार्थना को सही रूप से खारिज कर दिया है। यदि अभियोक्ता के फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट की जांच करने और अभियोक्ता से संबंधित ऑडियो रिकॉर्ड चलाने की अनुमति दी जाती है, तो पीड़ित की गोपनीयता से समझौता हो सकता है।अभियोक्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति उसकी निजता के अधिकार के उल्लंघन की है, जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्ति यह है कि अभियुक्त को अभियोक्ता के फेसबुक या इंस्टाग्राम खाते की जांच करने और अभियोक्ता से संबंधित ऑडियो रिकॉर्ड चलाने की अनुमति मांगने का कोई अधिकार नहीं है।

20. उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांत से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए उपर्युक्त तर्कों की इस न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जा सकती है। तथ्यों के प्रश्नों का निर्णय और साक्ष्य की सराहना या संस्करण की विश्वसनीयता की जांच, दं. प्र. सं. की धारा 482 (अब बीएनएसएस की धारा 528) के तहत अधिकार क्षेत्र के दायरे में नहीं आती है। अभिलेख पर मौजूद सामग्री के तहत, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सकता है कि प्रकरण स सं 30/2023 में आरोपित कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्तों पर बदला लेने और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उन्हें परेशान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

21. तदनुसार, वर्तमान सी.आर.एम.पी. में सार का अभाव है और इस प्रकार, इसे खारिज किया जाता है।

सही/–
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur